निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 461) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

12 मार्च 2015

सं0 22/नि0सि0(पू0)–01–08/2013/624—श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमंडल, किशनगंज के विरूद्ध किशनगंज जिला अन्तर्गत एजेण्डा सं0–113/97 द्वारा पोड़लावाड़ी एवं एजेण्डा सं0–115/10 से पुरूदाहा स्थल पर बाढ़, 2012 के पूर्व कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य में बरती गयी अनियमितता से संबंधित आरोपों की जॉच उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1109 दिनांक 13.09.13 द्वारा गठित आरोपों के लिए स्पष्टीकरण किया गया।

श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण पर उड़नदस्ता अंचल का मंतव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त निम्न आरोपों के लिए श्री सिंह दोषी पाये गये हैं।

(i) पोड़लावाड़ी एवं पुरूदाहा कार्य स्थलों पर व्यवहृत Porcupine Members में प्रावधान से कम मात्रा में लौह सामग्री का व्यवहार किया जाना।

(ii) पुरूदाहा कार्य स्थल पर एस0 आर0 सी0 की अनुशंसा के अनुरूप कार्य नहीं कराया जाना।

(iii) कार्य स्थल पर उपलब्ध Porcupine में प्रावधान के अनुरूप झांकी उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(iv) त्रुटिपूर्ण कार्य करने के लिए संवेदक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक ज्ञापांक 1578 दिनांक 27.10.14 द्वारा श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमंडल, किशनगंज को ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक'' का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री राणा रंजीत सिंह के द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी।

प्रथम आरोप के संबंध में श्री सिंह द्वारा कहा गया है कि दिनांक 09.04.12 को जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमंडल, किशनगंज का प्रभार मेरे द्वारा तत्कालीन सहायक अभियंता श्री अजय कुमार से ग्रहण किया था। उस समय तक पोड़लाबाड़ी कार्य स्थल पर Porcupine Members के ढ़लाई का कार्य पूरा किया जा चुका था और Laying का कार्य चल रहा था। अतः इस आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

आरोप सं0–2 – के संबंध में श्री सिंह द्वारा कहा गया है कि पुरूदाहा स्थल पर विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने संबंधी बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद संवेदक द्वारा मनमानी पूर्ण तरीके से किया गया जिसकी सूचना तत्समय कार्यपालक अभियंता को दिया गया। विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण संवेदक को उक्त कार्य का कोई भुगतान नहीं किया गया। अतः इस आरोप से मुक्त किया जाए।

आरोप सं0–3 – तृतीय आरोप के संबंध में श्री सिंह द्वारा कहा गया है कि पोड़लाबाड़ी कार्य स्थल पर Porcupine में झॉकी भरने के संदर्भ में जॉच दल की अभियुक्ति में प्रतिकूल टिप्पणी है। गुण नियंत्रण प्रमंडल, पूर्णियां के प्रतिवेदन में झॉकी के संबंध में सकारात्मक टिप्पणी है पुरूदाहा स्थल पर प्रावधान के अनुरूप कार्य करने एवं झॉकी भरने संबंधी निर्देश संवेदक को दिये जाने के बावजूद कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं किया गया।

आरोप सं0–4 – त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए संवेदक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सक्षम पदाधिकारी प्रमंडलीय स्तर पर कार्यपालक अभियंता है। मेरे द्वारा संवेदक द्वारा बरती गयी अनियमितता की सूचना कार्यपालक अभियंता को ससमय दिया गया।

श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी जिसमें निम्न तथ्य पाया गयाः–

प्रथम आरोप के संदर्भ में श्री राणा रंजीत सिंह के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को स्वीकार किया गया है क्योंकि श्री सिंह, सहायक अभियंता द्वारा श्री अजय कुमार, सहायक अभियंता से दिनांक 09.04.12 को प्रभार दिया गया एवं पत्रांक 90 दिनांक 17.04.12 द्वारा कार्यपालक अभियंता, किशनगंज को सूचित किया गया कि पोड़लाबाड़ी में Porcupine Members Pillars की ढुलाई पूर्ण हो चुकी है।

श्री सिंह से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के द्वितीय एवं तृतीय आरोप के कथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया क्योंकि श्री सिंह द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि पुरूदाहा स्थल पर कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं किया गया। अगर संवेदक द्वारा विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा था तो इनके द्वारा कार्य को रोकवा देना चाहिए था परन्तु श्री सिंह द्वारा ऐसा नहीं कर संवेदक को विशिष्टि के विरूद्ध कार्य करने दिया गया।

आरोप संख्या 4 के संबंध में इनके कथन को स्वीकार योग्य पाया गया है कि संवेदक के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सक्षम पदाधिकारी प्रमंडलीय स्तर पर कार्यपालक अभियंता है जिन्हें संवेदक द्वारा बरती गयी अनियमितता की सूचना ससमय दी गयी थी।

समीक्षोपरान्त उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान प्रमंडल, किशनगंज को विभागीय अधिसूचना सं0 1578 दिनांक 21.10.14 द्वारा संसूचित दंड ''असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक'' के स्थान पर निम्न दंड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है :–

''असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक''।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमंडल, किशनगंज को ''असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक'' का दंड दिया जाता है।

उक्त दंड श्री राणा रंजीत सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, जल निस्सरण एवं अनुसंधान अवर प्रमंडल, किशनगंज को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 461-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in